

VRS

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ. 3(ख) (के-272/90)/अलेसे-II/

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

श्री कैलाश चन्द गोयल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंग नं. 4668) कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किशनगढ़-बांस (अलवर) जिनकी जन्मतिथि 01.07.1959 व राज्य सेवा में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति तिथि दिनांक 26.07.1993 है। खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किशनगढ़-बांस (अलवर) के माध्यम से प्रेषित अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.11.2017 के द्वारा राजस्थान सेवा नियम 50 (3)(क) के तहत पत्नी की बिमारी एवं पारिवारिक परिस्थितियों के कारण दिनांक 11.01.2018 से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही गयी है।

अतः श्री कैलाश चन्द गोयल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II की राजस्थान सेवा नियम 50 (3)(ख) के अन्तर्गत नोटिस अवधि में शिथिलता देते हुए दिनांक 11.01.2018 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

वित्त विभाग (नियम) शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12 (6) वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री कैलाशचन्द गोयल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

Chap.

(परमेश्वरी चौधरी)

निदेशक

दिनांक :- 11.01.2018

क्रमांक :- एफ. 3(ख) (के-272/90)/अलेसे-II/ 2230

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किशनगढ़-बांस, अलवर।
3. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्र 0 का 0 भरतपुर।
5. श्री कैलाश चन्द गोयल स.ले.अ. ग्रेड-II कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किशनगढ़-बांस (अलवर)।
6. संयुक्त निदेशक, विधि/जॉच।
7. उपनिदेशक, (ए.सी.पी.) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
9. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/गार्ड फाईल/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)